

राजस्थान सरकार
वन विभाग

ओर से ashokyadav
क्षेत्रीय वन अधिकारी
DCF UDAIPUR (NORTH)

निमित्त न्यायालय सहायक वन संरक्षक,

क्रमांक / ENDIV034RNG19934

विषय : — राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत वन विभाग भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को बेदखल करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री 23 निवासी sdf ने वन भूमि ग्राम के खसरा नम्बर 4563456 आरक्षित/रक्षित वनखण्ड DCF UDAIPUR (NORTH) की 234.00 हैक्ट0 पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। यह वनखण्ड राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या N564564564 दिनांक 13/11/2017 के द्वारा Reserve Forest घोषित हो चुकी है। क्षेत्र का मानचित्र एवं वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जे का विवरण संलग्न है।

अतः श्री 23 को राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अनाधिकृत कब्जे से बेदखल करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : —

भवदीय
ashokyadav
क्षेत्रीय वन अधिकारी
DCF UDAIPUR (NORTH)